यालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बेगूँ

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर [उपखण्ड अधि मुकाम बेगू

छितर मल पिता गोपीलाल मेघवाल बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार

करम मुकदमा प्रा-पत्र अ-धा 251 रा.रा. नं. 6/24 सन्

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
30.9.24	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई, प्रकरण मे वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा-पत्र अनुसार करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया है कि मौजा घामंचा मे प्रार्थी की आ.स. 610/262 पर पहुँचने के लिए विपक्षी की आ स. 308/260, 261 से रास्ता चाहीये। प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने के लिए इसके अलावा कोई मार्ग उपलब्ध नही है। प्रार्थी कदीम से इस रास्ते का उपयोग कर रहा है। किन्तु विपक्षी अधीनस्थ कर्मचारी इस रास्ते का उपयोग करने से रोक रहे है। अतः प्रार्थी का प्रा-पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की आराजी ग्राम सिंहपुर प.ह. रायता की आ.स. 610/262 रकबा 1.6200 है. भूमि पर आने जाने के लिए 30 फिट चौडा रास्ता विपक्षी की बिलानाम आ.स. 308/260, 261 ग्राम सिंहपुर के हिस्से से प्रदान करवाई जावे। प्रार्थी नियमानुसार इस हेतु विपक्षी को मुआवजा देने को तैयार है। इस पर विपक्षी ने तहसीलदार बेगू ने अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि उक्त प्रा-पत्र का जवाब मौका रिपोर्ट ही है। एवं अपनी बहस मौका रिपोर्ट अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि उक्त रास्ते के अलावा मौके पर कई वर्षो से जारी कदीमी रास्ता उपलब्ध है जो मौके पर चालू है प्रार्थी की भूमि से लगता हुआ है। यह कदीमी रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि के दक्षिणी सीमा से लगता हुआ होकर आगे पूर्व दिशा मे स्थित अन्य खातेदारान की कृषि भूमि तक जाता है। प्रार्थी की आ.स. 610/262 भूमि पर पहुँचने के लिए किसी भी प्रकार का रास्ते सम्बन्धि कोई विवाद नही है। अतः प्रार्थी का प्रा-पत्र खारीज फरमाया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुना	

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	गया व प्रा.पत्र, दस्तावेज एवं पत्रावली मे प्राप्त मौका रिपोर्ट का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की कलम सं. 3 (अ) मे आराजी ग्राम सिंहपुर मे स्थित होना बताया गया है। किन्तु प्रार्थना पत्र की कलम सं.6 मे विपक्षी की आराजी ग्राम घामंचा मे स्थित होना बताया है। जो संभव नही है। पत्रावली मे प्राप्त रास्ते के सम्बन्ध मे रिपोर्ट के अनुसार मौके पर आ.सं 310/264 बिलानाम सरकार भूमि आ.सं. 605/263 खातेदारी भूमि मे से होकर कई वर्षो पुराना कदीमी रास्ता उपलब्ध है। जो मौके पर चालू है। यह कादिमी रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि के दक्षिणी सीमा से लगता हुआ होकर आगे पूर्व दिशा मे स्थित अन्य खातेदारान की कृषि भूमि तक जाता है। जो नजरी नक्शे से सिद्ध होता है। प्रकरण मे प्राप्त रास्ते के सम्बन्ध मे रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कदीमी रास्ता उपलब्ध है जो वर्तमान मे अवागमन हो रहा है। एसी स्थिति मे नया रास्ता देना न्याय संगत नही समझते है। अत: प्रार्थी का प्रा.पत्र अ.धा.215 RTA का पृथक द्वारा खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर)